रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 165] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 25, 2018/ वैशाख 5, 1939
No. 165] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 25, 2018/ VAISAKHA 5, 1939

भारतीय रिज़र्व बैंक

अधिसूचना

मुंबई, 10 अप्रैल 2018

सरकारी प्रतिभूतियाँ – प्रतिभूतियों के पंजीकृत ब्याज और मूलधन की अलग-अलग ट्रेडिंग (स्ट्रिप्स) (संशोधन)

सं. आईडीएमडी. जीबीडी 2614 / 08.08.16 /2018-19.—सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 की धारा 2(i) के साथ पठित इसी अधिनियम की धारा 11(2) की व्याख्या के माध्यम से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 16 अक्तूबर 2009 की पूर्व अधिसूचना का आंशिक आशोधन करते हुए निम्नानुसार संशोधन किए जाएंगे, जो इस प्रकार हैं,

1. खंड आई (डी) में निम्नलिखित परिभाषा हटा दी गई है :

> "प्राधिकृत संस्था" का अर्थ है कोई प्राथमिक डीलर या सरकारी प्रतिभूतियों की स्ट्रिपिंग / पुनर्गठन के लिए इन प्रतिभूतियों के धारकों से अनुरोध स्वीकार करने और आरबीआई को प्रस्तुत करने के लिए आरबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी अन्य संस्था।

2. खंड 2(2) के तहत उल्लिखित पात्र प्रतिभूतियों में निम्नानुसार संशोधन किया गया है :

> भारत सरकार द्वारा जारी की गई सभी नियत कूपन प्रतिभूतियाँ स्ट्रिपिंग / पुनर्गठन के लिए पात्र हैं, उनका परिपक्वता वर्ष कोई भी हो, बशर्ते :

i. इन प्रतिभूतियों को सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के उद्देश्य से पात्र निवेश के रूप में माना जाता है।

ii. ये प्रतिभूतियां हस्तांतरणीय हैं।

मालविका सिन्हा, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III /4/ असा./38/18]

RESERVE BANK OF INDIA
NOTIFICATION
Mumbai, the 10th April, 2018

Government Securities –Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities (STRIPS) (Amendment)

No. IDMD. GBD. 2614 /08.08.16 /2018-19.—In exercise of the powers conferred vide explanation to section 11(2) of the Government Securities Act, 2006 read with section 2(i) of the Act, ibid, and in partial modification of the earlier notification dated October 16, 2009, the amendments as under shall be made, namely,

1. The following definition in Section I(d) stands deleted:

"Authorized entity" means a Primary Dealer or any other entity recognized by the RBI to accept requests from the holders of Government securities for stripping/reconstitution of the securities and submission to the RBI.

2. The eligible securities mentioned under Section II (2) stands amended as under:

All fixed coupon securities issued by Government of India, irrespective of the year of maturity, are eligible for Stripping/Reconstitution, provided that:

i. The securities are reckoned as eligible investment for the purpose of Statutory Liquidity Ratio (SLR).

ii. The securities are transferable.

MALVIKA SINHA, Executive Director
[ADVT.-III/4/Exty./38/18]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

RAKESH SUKUL
Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.04.26 18:44:30 +05'30'